न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर

उनवान ......जोधा...... बनाम ......भूरा......

मुकदमा संख्या / वर्ष 42/2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.4.22	पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मनन कर तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया कि वादी द्वारा वाद बाबत् खसरा नम्बर 36 रकबा 0.3667 है0, ख0 न0 36/58 रकबा 1.4923 है0, ख0न0 36/59 रकबा 0.2276 है0, ख0न0 37 रकबा 1.3152 है0, ख0न0 37/60 रकबा 1.1761 है0, ख0न0 38 रकबा 0.2656 है0, ख0न0 39 रकबा 0.1391 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.9826 है0 ग्राम चकसरनाडूंगर, प0ह0 सरनाडूगर, भू0अ0 निरीक्षक माचवा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। उक्त में सहखातेदारान् के मध्य तकारामा पेश किया गया, उक्त वाद मे सभी पक्षकारान् की पुख्ता तामील करवाई गई। विवादग्रस्त भूमि की मौका रिकॉर्ड स्थिति हेतु तहसीलदार जयपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार जयपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि ग्राम चक सरनाडूंगर के ख0न0 36, 36/58, 36/59, 37, 37/60, 38, 39 पर जमाबंदी संवत् 2073–76 में भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुरजी की होने से रेफरेंस प्रकरण विचाराधीन है व यथास्थिति का नोट अंकित है। उक्त रेफरेंस प्रकरण श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त वाद पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज (जमाबंदी) व तहसीलदार रिपोर्ट का पूर्ण अध्ययन कर यह पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि ख0 न0 36, 36/58, 36/59, 37, 37/60, 38, 39 के माफी मन्दिर होने बाबत् रेफरेंस श्रीमान अति0 जिला कलक्टर द्वितीय के न्यायालय में विचाराधीन है, इस भूमि बाबत मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति के आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में रेफरेंस विचाराधीन रहते सहखातेदारों के मध्य तकासमा करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि बाद तकारामा न ही तकासमे अनुसार नक्शे में तरमीम की जाएगी व न ही अपने हिस्से/कब्जे की भूमि का चेचान, न ही किस्म परिवर्तन किया जा सकेगा। वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरांत भी [illegible]दारों को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकेगा, [illegible] मौके पर विवाद होने के [illegible] पक्ष अपने-अपने हिस्से [illegible] कृषि कार्य कर रहे हैं। उन पर विभाजन न होने का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड रहा। अतः वाद तकासमा ग्राम चकसरनाडूंगर, प0 ह0 सरनाचौड़, भू0 अ0 निरीक्षक क्षेत्र माचवा स्थित खसरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

नम्बर 36 रकबा 0.3667 है0, ख0 न0 36/58 रकबा 1.4923 है0, ख0न0 36/59 रकबा 0.2276 है0, ख0न0 37 रकबा 1.3152 है0, ख0न0 37/60 रकबा 1.1761 है0, ख0न0 38 रकबा 0.2656 है0, ख0न0 39 रकबा 0.1391 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.9826 है0 इस आशय से खारिज किया जाता है कि रेफरेंस के निर्णय उपरांत, उक्त निर्णयानुसार यदि वह तकासमे के अधिकारी पाये जाते हैं तो यह वाद पुनः पेश कर, चाहा अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested